न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या 224/2017

1. जगदीश
2. अश्वनी

} पिसरान श्री देवीलाल जाति जाट चक 7 एफ बड़ा, तहसील व जिला—श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— — वादीगण

—:: बनाम ::—

1. देवीलाल पुत्र श्री सहीराम कौम जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 08.04.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.323 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1 ता 4 व 8 ता 13, 18 ता 23 की 4.048 हैक्टर कुल 10.371 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के दादाजी सहीराम पुत्र काहनाराम की पैतृक कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। वादीगण के दादाजी सहीराम पुत्र काहनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए पैतृक सम्पति के बंटवारा अनुसार दर्ज हुए इन्तकाल संख्या 223 दिनांक 25/09/2003 द्वारा वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल पुत्र श्री सहीराम को मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.323 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा मुरब्बा नम्बर 28 की 4.048 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के तायाजी इन्द्राज पुत्र सहीराम को प्राप्त हुई। वादीगण के दादाजी सहीराम पुत्र काहनाराम ने अपनी नेक कमाई से चक 7 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 56, 60 की कुल 9.02 बीघा कृषि भूमि में से गुरमेलसिंह पुत्र सरायण सिंह जाति जटसिख के 45—2/3 हिस्सा में से 25 हिस्सा कृषि भूमि जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 04.07.1997 द्वारा वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम खरीद की जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इन्तकाल संख्या 152 दिनांक 23.07.1997 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई एवं वादीगण के दादाजी सहीराम पुत्र कानाराम ने दस्तावेज बैयनामा दिनांक 22.04.1997 द्वारा गुरमेलसिंह पुत्र सरायणसिंह से 20 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण के पिताजी /प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम से खरीद की व बलतेजसिंह पुत्र सरायणसिंह से 45 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण के तायाजी इन्द्राज पुत्र सहीराम के नाम से खरीद की जो बैयनामा इन्तकाल संख्या 156 दिनांक 01.01.1998 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व इनके भाई देवीलाल, इन्द्राज के नाम दर्ज हुई जिसका खाता विभाजन होने पर मुरब्बा नम्बर 60 की 1.137 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल व इनके भाई सहीराम के नाम

बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई एवं चक 4 पी. बड़ी के मुरब्बा नम्बर 58 की 0.759 हैक्टर कृषि भूमि भी वादीगण के दादाजी ने अपनी नेक कमाई से वादीगण के पिताजी देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम से खरीद की।

A 10/2

इस प्रकार चक 7 एफ. बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070 के खाता संख्या 27 / 35 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के पिताजी / प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 7 एफ बड़ा की वर्तमान जमाबन्दी के संयुक्त खाता संख्या 28 / 34 के मुरब्बा नम्बर 60 की 1.137 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण के पिताजी / प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं चक 4 पी. बड़ी पटवार हल्का कोनी की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069—2072 के खाता संख्या 30 / 29 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 17, 24, 25 की 0.759 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के पिताजी / प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादाजी एवं पड़दादाजी से वादीगण के पिताजी / प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरासतन जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 7 एफ. बड़ा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070 खाता संख्या 27 / 35 एवं खाता संख्या 28 / 34 तथा इन्तकाल संख्या 223 दिनांक 25.09.2003 एवं इन्तकाल संख्या 152 व इन्तकाल संख्या 156 तथा चक 4 पी बड़ी के वर्तमान खाता संख्या 30 / 29 की प्रमाणित प्रतिलिपीयां संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 के दो पुत्र (जगदीश एवं अश्वनी {वादीगण}) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा एवं चक 4 पी बड़ी की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :—

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
जगदीश पुत्र श्री देवीलाल कौम जाट साकिन चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 7 एफ. बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070 के खाता संख्या 27 / 35 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8 ता 12 (प्रत्येक 0.253 है.), 13 (0.126 है.) 19, 20, 21, 22 (प्रत्येक 0.253 है.) = 3.162 हैक्टर नहरी
अश्वनी पुत्र श्री देवीलाल कौम जाट साकिन चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070 के खाता संख्या 27 / 35 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 4 ता 7 (प्रत्येक 0.253 है.), 13(0.127 है.) 14 ता 18 एवं 23 ता 25 (प्रत्येक 0.253 है.) = 3.163 हैक्टर नहरी
देवीलाल पुत्र श्री सहीराम कौम जाट साकिन 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070 के संयुक्त खाता संख्या 28 / 34 के मुरब्बा नम्बर 60 की कुल 1.137 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से देवीलाल के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा जमाबन्दी मुताबिक, चक 4 पी बड़ी पटवार हल्का कोनी तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069—2072 के खाता संख्या 30 / 29 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 17, 24, 25 (प्रत्येक 0.253 है.) = 0.759 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक

A/10/3

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है।

यहकि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 15.12.2016 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 27/35 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि में से किला नम्बर 1, 2, 3, 8 ता 12 (प्रत्येक में 0.253 है.),13 (0.126 है.) 19, 20, 21, 22 (प्रत्येक में 0.253 है.) की 3.162 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 जगदीश पुत्र देवीलाल कौम जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की एवं मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 4 ता 7 (प्रत्येक में 0.253 है.), 13 (0.127 है.) 14 ता 18 एवं 23 ता 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 3.163 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 2 अश्वनी पुत्र देवीलाल कौम जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा, श्रीगंगानगर की घोषित की जावे।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 18.01.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की पहचान श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी संख्या 1

अधिकारी (राजस्व)

देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 27/35 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि में से किला नम्बर 1, 2, 3, 8 ता 12 (प्रत्येक 0.253 है.), 13(0.126 है.), 19, 20, 21, 22 (प्रत्येक 0.253 है.) की 3.162 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 जगदीश पुत्र देवीलाल कौम जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर को एवं मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 4 ता 7 (प्रत्येक 0.253 है.) 13 (0.127 है.) 14 ता 18 व 23 ता 25 (प्रत्येक 0.253 है.) = 3.163 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 2 अश्वनी पुत्र देवीलाल कौम जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा, श्रीगंगानगर को दी हुई है।

चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 27/35 में प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम दर्ज कुल कृषि भूमि में से किला नम्बर 1, 2, 3, 8 ता 12 (प्रत्येक में 0.253 है.), 13(0.126 है.),19, 20, 21, 22 (प्रत्येक में 0.253 है.) की 3.162 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 जगदीश पुत्र देवीलाल कौम जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील श्रीगगानगर की एवं मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 4 ता 7 (प्रत्येक में 0.253 है.), 13 (0.127 है.) 14 ता 18 एवं 23 ता 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 3.163 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 2 अश्वनी पुत्र देवीलाल कौम जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा, श्रीगंगानगर की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी एवम् प्रतिवादी संख्या एक द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके अर्न्तगत वाद पत्र के बिन्दूओं को ही दोहराया जाकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 खाता संख्या 27/35 को प्रदर्श 1, व खाता संख्या 28/34 को प्रदर्श 2, नामान्तरकरण संख्या 223 को प्रदर्श 3, नामान्तरकरण संख्या 152 को प्रदर्श 4, नामान्तरकरण संख्या 156 को प्रदर्श 5, चक 4 पी बड़ी के वर्तमान खाता संख्या 30/29 को प्रदर्श 6 तथा राजीनामा को प्रदर्श 7 अंकित करवाया गया।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई. आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई. आर.1966 (एस.सी..) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरुप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 27/35 की 6.325 हैक्टर खाता संख्या 28/34 के 1.137 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा तथा चक 4 पी बड़ी के वर्तमान खाता संख्या 30/29 की 0.759 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी एवम् प्रतिवादी की अपनी पैतृक सम्पति के सम्बध में राजीनामा में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 27/35 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि 3.162 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का वादी संख्या 1 जगदीश पुत्र देवीलाल कौम जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर एवम् 3.163 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का वादी संख्या 2 अश्वनी पुत्र देवीलाल कौम जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा, श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. जगदीश पुत्र श्री देवीलाल कौम जाट साकिन चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7 एफ. बड़ा	27/35	27	1/.253, 2/.253, 3/.253, 8/.253, 9/.253, 10/.253, 11/.253, 12/.253, 13/.126, 19/.253, 20/.253, 21/.253, 22/.253	3.162 हैक्टर नहरी

—लगातार 6

(राजस्व)

2. अश्वनी पुत्र श्री देवीलाल कौम जाट साकिन चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7 एफ. बड़ा	27/35	27	4/.253, 5/.253, 6/.253, 7/.253, 13/0.127, 14/.253, 15/.253, 16/.253, 17/.253, 18/.253, 23/.253, 24/.253, 25/.253	3.163 हैक्टर नहरी

3. देवीलाल पुत्र श्री सहीराम कौम जाट साकिन 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा कर भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7 एफ. बड़ा	28/34	60	कुल 1.137 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से देवीलाल के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा जमाबन्दी मुताबिक	
4 पी बड़ा	30/29	58	17/.253, 24/.253, 25/.253	0.759 हैक्टर नहरी

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर